

1.2.24 वकील डापी अनुपरिधन । डापी स्वयं
अनुपरिधन । बार - बार आवाज लगावाई
मई लेकिन डापीया असालतन / वकालत
हाजिर नहीं आने से पत्रावली को
वर्तमान स्तर पर अपम पैरवी / अपम
हाजरी में स्वारिज किया जाता है।
पत्रावली नम्बर से कम की जाकर
बाद वकमील कारिबल दफ्तर हो।

(स्वामि गुप्ता)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन महायक कलेक्टर
दिल्ली

